

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

शंकराराम पुत्र शंकराराम कौम जार
कौम पनो गियो फा बला
तह सिणधरी

आदूराम पुत्र खेताराम कौम जार
बनाम नि. पनो गियो फा बला
सि सिणधरी

मुकदमा संख्या 249 / 2025

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--

14.10.2025

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री श्री. वरलाल सिणधरी अन्तर्गत धारा 111, 120 राजस्थान क्र. 21 अधिनियम 1953 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।

श्री. वरलाल सिणधरी
उपखाण्ड अधिकारी

सिणधरी

श्री. वरलाल सिणधरी

पत्रावली बला सिणधरी आदेश 30.10.25

को जे श्री. वरलाल सिणधरी

उपखाण्ड अधिकारी

सिणधरी

30.10.25

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

श्री. वरलाल सिणधरी
उपखाण्ड अधिकारी

सिणधरी

